न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 18/19 (223 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :–2019/00124

उनवान

ओमप्रकाश उम्र 58 साल पुत्र श्री किशन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम पाली तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हरभान उम्र 61 पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी ग्राम पाली तहसील वैर जिला भरतपुर।
.....असल रेस्पोंडेंट ।

2. हरवती आयु 38 साल पत्नी स्व0 खडग सिंह
3. राजेन्द्र सिंह आयु 40 साल पुत्र यादराम
4. गोविन्द सिंह आयु 38 साल पुत्र यादराम
5. श्याम सिंह आयु 30 साल पुत्र यादराम
6. लाल सिंह आयु 25 साल पुत्र यादराम

} जाति जाट निवासी ग्राम पाली तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 14.08.2019 प्र.सं 59/19 उनवानी ओमप्रकाश बनाम हरभान।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री नरेन्द्र पाल सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित

निर्णय दिनांक–28.03.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 14.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 पेश करते हुये निवेदन किया विवादित आराजी खसरा नम्बर 795, 796, 797, 798 वाके ग्राम पाली तहसील वैर जिला

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

भरतपुर में स्थित है जिसमें वादी अपीलाण्ट 1/4 हिस्से का व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 02 1/4 हिस्से व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 06 1/2 हिस्से के वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। असल रैस्पो0 आराजी खसरा नम्बर 799, 800, 801, 802 की आड में वादी अपीलाण्ट की आराजी पर अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण करना चाहता है। इस बाबत् उसने कई बार धमकी भी दी है। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से रेसज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा रेसज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज किया गया है। जबकि प्रकरण पर कोई रेसज्यूडिकेटा लागू ही नहीं था। पूर्व वाद में पक्षकार एवं चाहा गया अनुतोष पृथक–पृथक हैं। प्रस्तुत वाद में धारा 188 के साथ 92 एलआरएक्ट भी नया था। इसके अलावा पूर्व वाद भी गुणावगुण पर निर्णित नहीं हुआ था। अतः रेसज्यूडिकेटा नहीं लगेगा। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा मनमाने तौर पर खारिज कर दिया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे (17) 2010 पेज 207 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0. ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा रेसज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज ना करते हुये, आदेश 09 नियम 09 सीपीसी प्रस्तुत नहीं करने एवं पुनः नया दावा लाने के आधार पर खारिज किया गया है। अपीलाण्ट को चाहिये था कि वह नया दावा ना लेते हुये, पूर्ववर्ती दावा को ही रिस्टोर कराते। परन्तु अपीलाण्ट के द्वारा ऐसा ना करते हुये, फिर से नया दावा प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व दावा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलाण्ट ने पूर्व वाद आराजी खसरा नम्बर 422, 425 उनवानी दावा ओमप्रकाश बनाम श्रीभान आदि के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.07.2017 से अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गया। वादी अपीलाण्ट के समुचित अवसर था कि वह उक्त वाद को प्रार्थना पत्र

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 के तहत पुनः नम्बर पर लेने की कार्यवाही करते। परन्तु उनके द्वारा उक्त अवसर का उपयोग किये बिना, नये सिरे से पुनः उन्हीं सांविक खसरा नम्बरो के नवीन नम्बरो पर पूर्व वाद के अनुतोष के साथ नया दावा लाना विधि से वर्जित है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं। अपीलाण्ट अपने पूर्व वाद को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 के तहत पुनः नम्बर पर लेने की कार्यवाही करने को स्वतंत्र हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 14.08.2019 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर